## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 48/2017**

| **प्रार्थी:–** | **बनाम** | **अप्रार्थीगण:–** |
|---|---|---|
| महेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डिया तहसील सोजत | | 1. चम्पालाल पुत्र अन्नराज जाति जैन सांखला निवासी साण्डिया तहसील सोजत<br>2. ग्राम पंचायत साण्डिया जरिये सरपंच |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थिति –**

श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी अनुपस्थित।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 12/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, साण्डिया द्वारा मिसल संख्या 8/1982–1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 02.05.1984 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 12.05.1984 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, जो तामील की परिभाषा में आने से तामील माना जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता के पूर्वजों की सम्पति मौजा साण्डिया में आई हुई स्थित है, जिस पर प्रार्थी के पिता पूर्व में काबिज थे, उनके पश्चात प्रार्थी काबिज है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त सम्पति का एक फर्जी बेचाननाम बताकर ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही की एवं उसमें भूखण्ड 22 x 47 फुट का बताया गया, बेचाननाम में 25 x 22 का बताया गया तथा पट्टा 35 x 11 का जारी करवाया। ग्राम पंचायत में जो पत्रावली कायम की गई, उसमें कोई नोटिस जारी नही किया गया, न ही कोरम पूर्ण था, न ही मौका रिपोर्ट थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया तथा जो बेचाननामा बताया गया है, वो बेचाननामा फर्जी एवं रजिस्टर्ड नही था। ग्राम पंचायत की पत्रावली में दस्तावेज नही है, न मौका रिपोर्ट है, न सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त सम्पति का पट्टा पूर्व में मदनसिंह व उनके पिता के नाम से जारीसुदा है, जिस सम्बन्ध में भी कोई जांच नही की गई एवं बेचान के सम्बन्ध में कोई जांच नही की गई। इस प्रकार कानून के विरूद्ध जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः जैर

अति. जिला कलक्टर, पाली

निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, साण्डिया द्वारा मिसल संख्या 8/1982–1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 02.05.1984 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 12.05.1984 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पत्रावली की बिना हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत की है, जिसकी विश्वसनीयता के सम्बन्ध में मिसल की प्रति की ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण से तुलनात्मक मिलान किया गया। मिसल की प्रति के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.07.1982 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मदनसिंह पुत्र दातारसिंह से खरीदसुदा मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया तथा निर्धारित राशि ग्राम पंचायत के समक्ष जमा करवाई। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की। दिनांक 07.09.1983 की आदेशिका अनुसार सचिव को नक्शा बनाने एवं तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 20.09.1983 को नक्शा मौका एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने के कारण एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये। ग्राम पंचातय द्वारा जो बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया है, वह दिनांक 10.01.1984 से आरम्भसुदा है। आदेशिका दिनांक 22.02.1984 के अनुसार पुनः आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.02.1984 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुक्रम में दिये गये है। इसके पश्चात दिनांक 24.04.1984 को किसी प्रकार का एतराज प्रस्तुत नही होने के कारण कब्जा सबूत विक्रेता एवं अन्य दो व्यक्ति के बयान हेतु नियत की गई। उक्त कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 3 के अनुक्रम में की गई। इसके पश्चात बयान कलमबद्ध करते हुए नियम 266 के तहत भूमि की कीमत का 1/6 राशि वसूल कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 02.05.1984 के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुक्रम में की गई है। इस प्रकार मिसल की कार्यवाही एवं पंचायत की बैठक का परस्पर मिलान होने के कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की कार्यवाही में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता एवं प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पूर्ण रूपेण पालना की गई है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन पाई जाती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत साण्डिया द्वारा मिसल संख्या 8/1982–1983 संकल्प संख्या 3 दिनांक 02.05.1984 की पालना में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 12.05.1984 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली